वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1993

सा.का.नि. 621.—भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित इस विभाग की दिनांक 30-05-1987 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 410 के कालम 12 के उपबंध सं. (ii) में वेतनमान 1400-2600 की 1400-2300/- पढ़ा जाए ।

[फा. सं. ए-12018/1/85-प्रशा. I-ए (भाग)]
बी.के. मेहता, अवर सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1993

सा. का. नि. 622 :—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण अभिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1978 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्यात निरीक्षण अभिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) (संशोधन) नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्यात निरीक्षण अभिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1978 में, —

(1) नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात् :—

"5. इन नियमों के प्रयोजन के लिए, कर्मचारियों को निम्नलिखित चार समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा अर्थात् :—

समूह "क" : वह पद, जिसके वेतन या वेतनमान का अधिकतम 4000 रु. से कम नहीं है।

समूह "ख" : वह पद जिसका वेतन या वेतनमान का अधिकतम 2900 रु. से कम नहीं है, किन्तु 4000 रु. से कम है।

समूह "ग" : वह पद, जिसका वेतन या वेतनमान का अधिकतम 1150 रु. से अधिक किन्तु 2900 रु. से कम है।

समूह "घ" : वह पद, जिसका वेतन या वेतनमान का अधिकतम 1150 रु. या उससे कम है :

परन्तु 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् विद्यमान काडरों में विनिर्दिष्ट परिवर्धन के रूप में सृजन किए गए गए पदों के काडर में वही वर्गीकरण पद होगे जिससे वे जोड़े गए हैं।

टिप्पण :—इन नियमों के प्रयोजन के लिए :—

(i) "वेतन से अभिकरण कर्मचारी द्वारा (उसकी वैयक्तिक अर्हताओं) को ध्यान में रखते हुए मंजूर किए गए विशेष वेतन या वेतन से भिन्न) वेतन, विदेश वेतन विशेष वेतन तथा वैयक्तिक वेतन और किन्हीं अन्य उपलब्धियों जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर वेतन के रूप में विशेष रूप से वर्गीकृत की जाएं, के रूप में ली गई मासिक रकम अभिप्रेत है।

(ii) किसी पद का वेतन या वेतनमान से समय-समय पर अभिकरण कर्मचारियों को लागू केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1986 के अधीन विहित वेतन या वेतनमान अभिप्रेत है।"

(2) नियम 8 में, —

(i) खंड (i) से (iv) तक के लिए, "छोटी शास्ति" शब्द शीर्षक के रूप में अन्तःस्थापित किए जाएंगे और खंड (v) से (ix) तक के लिए "बड़ी शास्ति" शब्द शीर्षक के रूप में अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ix) के पश्चात् और (i) "स्पष्टीकरण" के पहले निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

परन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें किसी व्यक्ति से किसी पदीय कार्य को करने या करने से प्रविरत रहने के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न हेतु या इनाम के रूप में कोई परितोषण प्रतिग्रहण करने का आरोप सिद्ध हो जाता है खंड (viii) या खंड (ix) के उल्लिखित शास्ति अतिरोपित की जाएगी :

परन्तु यह और कि किसी असाधारण मामले में और ऐसे विशेष कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, कोई अन्य शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।" ;

(3) नियम 11 में उपनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात् :—

"(8) अभिकरण कर्मचारी अपनी ओर से प्रतिवाद करने के लिए अपने मुख्यालय में या उस स्थान में जहां जांच हो रही है अवस्थित किसी भी कार्यालय में तैनात किसी भी सरकारी सेवक की सहायता ले सकेगा किन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी विधि व्यवसायी को तब तक नियुक्त नहीं कर सकेगा जब तक अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतीकरण अधिकारी विधि व्यवसायी न हो या अनुशासनिक अधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी अनुज्ञा न दे।

किन्तु यदि जांच प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसी अनुज्ञा दे तो अभिकरण किसी अन्य स्थान में तैनात किसी अन्य सरकारी सेवक की सहायता ले सकेगा।

टिप्पण :—अभिकरण कर्मचारी किसी ऐसे सरकारी सेवक की सहायता नहीं लेगा जिसके पास दो अनुशासनिक मामले लम्बित हैं जिनमें उसे सहायता देनी है।"

(4) नियम 12 में उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"परन्तु जहां कोई जांच नियम 8 के खंड (v) से (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी शास्ति के लिए नियम 11 के उपबंधों के अनुसार की गई है वहां यदि अनुशासनिक प्राधिकारी, जांच प्राधिकारी से भिन्न है तो, वह ऐसी शास्ति अधिरोपित करने का कोई अन्तिम आदेश देने से पूर्व संबंधित अभिकरण कर्मचारी को अनुशासनिक प्राधिकारी को लिखित रूप में कोई अभ्यावेदन या निवेदन करने का अवसर उसे देते हुए जांच रिपोर्ट की एक प्रति अग्रपित करेगा।"

IndiaCode

(5) नियम 13 में, उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1क) उपनियम (1) के खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी यदि उक्त उपनियम के खंड (क) के अधीन अभिकरण कर्मचारी द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार किए जाने के पश्चात् किसी मामले में वेतनवृद्धि रोकने का प्रस्ताव किया गया है और इस प्रकार वेतनवृद्धि रोकने से कर्मचारी को संदेय पेंशन की रकम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या वेतनवृद्धि तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोकने या किसी भी अवधि के लिए संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकने का प्रस्ताव किया गया है तो अभिकरण कर्मचारी पर कोई ऐसी शास्ति अधिरोपित करने का कोई आदेश देने से पूर्व जांच नियम 11 के उपनियम (3) से उपनियम (23) तक में अधिकथित रीति से की जाएगी।"

(6) नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:—

"16. नियम 11 से नियम 15 तक में किसी बात के होते हुए भी;

(1) जहां किसी अभिकरण कर्मचारी पर कोई शास्ति ऐसे आचरण के आधार पर अधिरोपित की गई है जो आपराधिक आरोप पर उसकी दोषसिद्धि का कारण बना है, या

(2) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का, ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों में उपबंधित रीति से जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है, या

(2) जहां अभिकरण या अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में इन नियमों से उपबंधित रीति से कोई जांच करना समीचीन नहीं है;

वहां अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा और उस पर ऐसा आदेश, जो वह उचित समझे कर सकेगा :

परन्तु खंड (1) के अधीन किसी मामले में आदेश किए जाने से पूर्व अधिरोपित किए जाने के लिए प्रस्तावित शास्ति पर अभिकरण कर्मचारी को अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जा सकेगा।"

(7) नियम 19 के उपनियम (1) में, "2000" रुपए अंक और शब्द के स्थान पर "5000 रुपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(8) नियम 20 में, —

(क) उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ii) "नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी को अधिरोपित करने वाला आदेश चाहे वह अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा या किसी अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किया जाए;

(ख) खंड (v) में, उपखंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(खख) नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय पेंशन को घटाने या रोकने या अधिकतम पेंशन से इंकार करने वाला";

(ग) खंड (v) में, उपनियम (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित अंत स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(च) यह अवधारण करने वाला कि उसके निलंबन की तारीख से या उसकी पदच्युति पद से हटाए जाने, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या निम्नतर सेवा, ग्रेड, पद काल वेतनमान या काल वेतनमान के प्रथम पर अवनत किए जाने की तारीख से उसकी पुनः बहाली या उसकी सेवा, ग्रेड या पद पर पुनः स्थापन की तारीख तक की अवधि को किसी भी प्रयोजन के लिए कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि मानी जाएगी या नहीं;

(घ) स्पष्टीकरण में, खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(ii) "पेंशन" पद में अतिरिक्त पेंशन, उपदान और कोई अन्य सेवानिवृत्ति सुविधाएं सम्मिलित हैं।"

(9) नियम 21 में,—

(क) उपनियम (2) में, खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

परन्तु जहां अभिकरण कर्मचारी की बाबत, जिसका उपनियम (1) के निबंधनों के अनुसार अध्यक्ष या निदेशक अपील प्राधिकारी है, उक्त प्राधिकारी अध्यक्ष या निदेशक का अधीनस्थ है अपील, यथास्थिति, अध्यक्ष या निदेशक को की जाएगी।"

(ख) उपनियम (3) में "2000 रुपए" शब्द और अंक के स्थान पर "5000 रुपए" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(10) नियम 25 के पश्चात् "भाग-8 पुनर्विलोकन" शीर्षक के स्थान पर "भाग-8 पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन" शीर्षक रखा जाएगा।

(11) नियम 26 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"26(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी,—

(i) केन्द्रीय सरकार; या

(ii) परिषद् या

(iii) अपील प्राधिकारी, पुनरीक्षण किए जाने के प्रस्तावित आदेश के छह मास के भीतर, किसी भी समय, उसके या स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी जांच के अभिलेख मंगा सकेगा और इन नियमों के अधीन किए गए किसी ऐसे आदेश का, जिसकी कोई अपील नहीं की गई है या जिसकी कोई अपील अनुज्ञात नहीं की गई है, पुनरीक्षण कर सकेगा, और

(क) उस आदेश की पुष्टि, उपांतरण या उसे उपावर्त कर सकेगा; या

(ख) आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति की पुष्टि, उसमें कमी, वृद्धि या उसे उपावर्त कर सकेगा या जहां शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है, वहां शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, या

(ग) मामला उस प्राधिकारी को जिसने आदेश किया है या किसी अन्य प्राधिकारी को, यह निदेश देते हुए भेज सकेगा कि वह प्राधिकारी ऐसी और जांच करे जैसा कि वह मामले परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे, या

(घ) ऐसे अन्य आदेश, जो वह ठीक समझे, पारित कर सकेगा परन्तु यह तब जब कि :

(i) किसी पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा कोई शास्ति अधिरोपित करने का या बढ़ाने का, आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित अभिकरण कर्मचारी को प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर न दिया गया हो और जहां नियम 8 के खंड (5) से (9) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी को अधिरोपित करने या आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को उन खंडों में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी को बढ़ाने के लिए पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव है और यदि मामले में नियम 11 के अधीन

पहले कोई जांच नहीं की गई है तो, नियम 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम 11 में अधिकथित रीति से जांच करने के पश्चात् के सिवाए कोई ऐसी शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(ii) पुनरीक्षण का शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि --

(i) वह प्राधिकारी जिसने अपील में आदेश किया है, या

(ii) वह प्राधिकारी, जिसे अपील होती, जहां कोई अपील नहीं की गई है, उसके अधीनस्थ न हो ।

(2) पुनरीक्षण के लिए कोई कार्यवाही तब तक आरम्भ नहीं की जाएगी जब तक, --

(i) अपील के लिए परिसीमा-काल समाप्त न हो जाए; या

(ii) जहां ऐसी कोई अपील की गई है, वहां अपील का निपटान न हो जाए ।

(3) पुनरीक्षण के लिए आवेदन का निपटान उसी रीति से किया जाएगा : कोई अपील हो ।";

(12) नियम 27 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"27. ऐसा प्राधिकारी, जिसने कोई आदेश पारित किया है, किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, इन नियमों के अधीन पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन तब कर सकेगा जब कोई ऐसा नया तथ्य या साक्ष्य, जो प्रस्तुत नहीं किया जा सका था या पुनर्विलोकन के अधीन आदेश के पारित करने समय उपलब्ध नहीं था और जिसका मामले के स्वरूप को परिवर्तित करने का प्रभाव है उसकी जानकारी में आया है या लाया गया है :

परन्तु संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी शास्ति को अधिरोपित करने या बढ़ाने का आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित कर्मचारी को प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर न दिया गया हो और जहां नियम 8 में विनिर्दिष्ट बड़ी शास्तियों में से किसी शास्ति को अधिरोपित करने या पुनर्विलोकन आदेश द्वारा अधिरोपित छोटी शास्ति को किसी बड़ी शास्ति में बढ़ाने का प्रस्ताव है और यदि मामले में नियम 11 के अधीन पहले कोई जांच नहीं की गई है तो, नियम 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम 11 में अधिकथित रीति से जांच करने के पश्चात् के सिवाए कोई भी ऐसी शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(13) नियम 27 के पश्चात् भाग 9 प्रकीर्ण "शीर्षक अंतःस्थापित किया जाएगा ।

[फाइल सं० 3(27)89-ईआईएण्ड ईपी]

कुमारी सुमा सुब्रमण्या, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 31st May, 1993

G.S.R. 622.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978,— namely :—

1. (1) These rules may be called the Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) (Amendment) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on their publication in the Official Gazette.

2. In the Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978,—

(1) for the rule 5, the following rule shall be substituted namely :—

"5. For the purpose of these rules, the employees shall be classified into the following four groups, namely :—

Group A : A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 4,000.

Group B : A post carrying a pay or scale of pay with a maximum of not less than Rs. 2,900 but less than Rs. 4,000.

Group C : A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of over Rs. 1,150 but less than Rs. 2,900.

Group D : A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of which is Rs. 1,150 or less :

Provided that posts created on or after 1st January, 1986 as specific additions to existing cadres shall have the same classification posts in the cadre to which they are added.

Note :—For the purpose of this rule :—

(i) 'Pay' means the amount drawn monthly by the Agency employee as the Pay (other than special Pay or pay granted in view of his Personal Qualifications), Overseas Pay, Special Pay and Personal Pay and any other emoluments which may be specially classed as pay by the Central Government from time to time.

(ii) 'The pay or scale of pay of a post' means the pay or scale of pay prescribed under the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1986 as applicable to Agency employees from time to time.

(2) In rule 8,—

(i) the words "Minor Penalties" shall be inserted as the heading for clauses (i) to (iv) and the words "Major Penalties" shall be inserted as the heading for clauses (v) to (ix);

(ii) after clause (ix) and before "Explanation", the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that in every case in which the charges of acceptance from any person of any gratification, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or for bearing to do any official act is established, the penalty mentioned in clause (viii) or clause (ix) shall be imposed :

Provided further that in any exceptional case and for special reasons to be recorded in writing, any other penalty may be imposed.";

(3) in rule 11, for sub-rule (8), the following shall be substituted, namely :—

"(8) The Agency employees may take the assistance of any Government servant posted in any office either at his head quarters or at the place where the inquiry is held to defend the case on his behalf but may not engage a legal practitioner for the purpose unless the Presenting Officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner, or, the disciplinary authority having regard to the circumstances of the case, so permits :

Provided that the Agency employees may take the assistance of any other Government servant posted at any other station, if the inquiring authority having regard to the circumstances of the case, and for reasons to be recorded in writing, so permits.

Note :—"The Agency employees shall not take the assistance of a Government servant who has two pending disciplinary cases in hand in which he has to give assistance."

(4) in rule 12, after sub-rule (4), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that where an enquiry has been held in accordance with the provisions of rule 11 for any of the penalties specified in clause (v) to (ix) of rule 8, the Disciplinary Authority, if it is different from the Inquiring Authority, shall before making any final order of imposing such penalty, forward a copy of the inquiry report to the Agency employee concerned giving him an opportunity of making any representation or submission in writing to the Disciplinary Authority.";

(5) in rule 13, after sub-rule (1), the following shall be inserted, namely :—

"(1A) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-rule (1), if in a case it is proposed after considering the representation, if any, made by the Agency employee under clause (a) of that sub-rule to with-hold increments in pay and such with holding of increments is likely to affect adversly the amount of pension payable to the employee or to with-hold increments of pay for a period exceeding three years or to with-hold increments of pay with cumulative effect for any period, the inquiry shall be held in the manner laid down in sub-rule (3) to (23) of rule 11, before making any order imposing on the agency employee any such penalty.";

(6) for the rule 16, the following shall be substituted, namely :—

"16. Notwithstanding anything contained in Rule 11 to Rule 15;

(i) where any penalty is imposed on a Agency employee on the round of conduct which has led to his conviction on a criminal charge, or

(ii) where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these rules, or

(iii) where the Agency or Chairman is satisfied that in the interest of the security of the State, it is not expedient to hold any inquiry in the manner provided in these rules,

The disciplinary authority may consider the circumstances of the case and make such order thereon as it deems fit :

Provided that the Agency employee may be given an opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed before any order is made in a case under clause (i)".

(7) in rule 19, in sub-rule (1), for "Rs. 2,000", the figure "Rs. 5,000" shall be substituted.

(8) in rule 20,

(a) For the sub-clause (ii), the following shall be substituted, namely :—

(ii) an order imposing any of the penalties specified in rule 8 whether made by the disciplinary authority or by any appellate or revising authority.";

(b) in clause (v), after sub-clause (b), the following shall be inserted namely :—

"(bb) reducing or with-holding the pension or denying the maximum pension admissible to him under the rules,";

(c) in clause (v), after sub-rule (e), the following shall be inserted, namely :—

"(f) determining whether or not the period from the date of his suspension or from the date of his dismissal, removal, compulsory retirement or reduction to a lower service, grade, post, time-scale of pay or stage in a time-scale of pay to the date of his reinstatement or restoration to his service, grade or post shall be treated as a period spent on duty for any purpose".;

(d) In the Explanation, after clause (i), the following shall be inserted, namely:—

"(ii) the expression 'Pension' includes additional pension, gratuity and any other retirement benefit".

India Code

(9) in rule 21,—

(a) in sub-rule (2), after clause (i), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that whether such Authority is subordinate to the Chairman or Director in respect of Agency employee for whom Chairman or Director is the appellate authority in terms of sub-rule (i), the appeal shall lie to the Chairman or Director, as the case may be.";

(b) in sub-rule (3), for the word and figure "Rs. 2,000" the word and figure "Rs. 5,000" shall be substituted.

(10) after rule 25, for the heading "Part VIII-REVIEW", heading "PART VIII-REVISION AND REVIEW" shall be substituted.

(11) for rule 26 the following rule shall be substituted, namely :—

26. (1) Notwithstanding anything contained in these rules:—

(i) the Central Government ; or

(ii) the Council ; or

(iii) the appellate authority, within six months of the date of the order proposed to be revised, may at any time, either on its or his own motion or otherwise call for the records of any inquiry and revise any order made under these rules but from which no appeal has been preferred or from which no appeal is allowed, and may.

(a) confirm, modify or set aside the order; or

(b) confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order or impose penalty where no penalty has been imposed; or

(c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such authority to make such further enquiry as it may consider proper in the circumstances of the case; or

(d) pass such other orders as it may deem fit : Provided that :—

(i) no order imposing or enhancing any penalty shall be made by any revising authority unless the Agency employee concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed and, where it is proposed to impose any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8, to enhance the penalty imposed by the order sought to be revised to any of the penalties specified in those clauses and if an enquiry under rule 11 has not already been held in the case no such penalty shall be imposed except after an inquiry in the manner laid down in rule 11 subject to the provisions of rule 16.

(ii) no power of revision shall be exercised unless (i) the authority which made the order in appeal or

(ii) the authority to which an appeal would lie, where no appeal has been preferred, is subordinate to him.

(2) No proceeding for revision shall be commenced until after:—

(i) the expiry of the period of limitation for an appeal; or

(ii) the disposal of the appeal where any such appeal has been preferred.

(3) An application for revision shall be dealt with in the same manner as if it were an appeal under these rules.";

(12) for the rule 27, the following shall be substituted, namely :—

"27. the authority who has passed any order may, at any time, either on its own motion or otherwise, review, any order passed under these rules, when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case has come, or has been brought, to his notice :

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by the concerned authority unless the employee concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed or where it is proposed to impose any of the major penalties specified in rule 8 or to enhance the minor penalty imposed by the order sight to be reviewed to any of the major penalties and if any enquiry under rule 11 has not already been held in the case, no such penalty shall be imposed except after inquiring in the manner laid down in rule 11 subject to the provisions of rule 16".

(13) after rule 27, the heading "Part IX-Miscellaneous" shall be inserted.

[F. No. 3(27)/89-EI&EP]
KUM. SUMA SUBBANNA, Director

Footnote : Principal Notification was published by No. S.O. 43 of 7th January, 1978 and amendment by S.O. 1443 of 5th May, 1979 No. S.O. 1019 of 19th April, 1980 and No. S.O. 557 of 6th February, 1982, No. S.O. 2632 of 14th October, 1989.

IndiaCode